भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 407
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण

***407. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:**
श्री बस्तीपति नागराजूः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार कितने आंगनवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्यूसी) किराए के परिसरों, अर्द्ध-पक्के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश में मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए भेजे गए और स्वीकृत प्रस्तावों का वर्षवार, राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए धनराशि जारी कर रही है, यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो विगत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए धनराशि जारी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) आंध्र प्रदेश में मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के तहत वर्षवार, राज्यवार और जिलावार कितने आंगनवाड़ी केन्द्र निर्मित किए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है कि सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के पास अपने स्वयं के भवन हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए निजी क्षेत्र के संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (छ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

"मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण" के संबंध में 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 407 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (छ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 एक चल रही निरंतर योजना है, जिसमें योजना के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए इसमें निरंतर सुधार और इसका पुनर्गठन किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण मनरेगा के साथ अभिसरण में किया जा रहा है प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है जिसके लिए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 12 लाख रुपये की दर से निधि उपलब्ध कराई जाती है जिसमें से 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (एफसी) (या किसी अन्य अबद्ध निधि) के तहत तथा 2.00 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। यह राशि केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत अनुपात में साझा की जाएगी।

मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए अनुमोदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार दिया जाता है। मनरेगा की शुरुआत से अब तक आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 9425 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2024-25 के दौरान मनरेगा के तहत 1864 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उसे मंजूरी दे दी गई है।

मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत से लेकर आज तक मनरेगा के तहत स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए जारी की गई निधि का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में किराए के परिसरों, अर्ध-पक्के भवनों में चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की राज्य और जिले-वार संख्या **अनुलग्नक II** में दी गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एमपीएलएडी, एमएलएएलएडी, बीआरजीएफ (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि), आरआईडीएफ (ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं से आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए धनराशि मिलना जारी रहेगी। राज्य अपने स्तर पर स्वविवेक से व्यक्तियों, कंपनियों, व्यापारिक घरानों और प्रतिष्ठित संस्थानों, सीएसआर से प्राप्त निधियों का प्रयोग बिना किसी बाध्यता के पूर्णतया प्रो बोनो आधार पर आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए शामिल कर सकते हैं। इसी तरह, जिला

मजिस्ट्रेट इसके लिए पूर्णतया प्रो बोनो आधार पर और बिना किसी बाध्यता के संसाधनों को प्रोत्साहित करेंगे/जुटाएंगे। इसी प्रकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आंगनवाड़ी अवसंरचना जैसे शौचालय, आरडब्ल्यूएचएस, डीडब्ल्यूएस आदि या आंगनवाड़ी गतिविधि के किसी भी घटक जैसे ईसीसीई सामग्री, फर्नीचर, खाना पकाने के बर्तन, रसोई अवसंरचना, भंडारण सुविधा आदि के लिए वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेंगे।

आंध्र प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों की जिले-वार संख्या (राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) **अनुलग्नक III** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक I

"मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण" के संबंध में श्री दग्गुमल्ला प्रसाद राव और श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 407 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत से अब तक मनरेगा के तहत निर्माण के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र और जारी की गई निधि:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत से अब तक**	
		कुल अनुमोदित आंगनवाड़ी केंद्र	**जारी की गई कुल निधि (लाख रुपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	0	0
2	बिहार	6155	4440
3	छत्तीसगढ़	3900	4680
4	गोवा	0	0
5	गुजरात	360	120
6	हरियाणा	155	186
7	झारखंड	2519	1776
8	कर्नाटक	1735	2082
9	केरल	172	168
10	मध्य प्रदेश	200	240
11	महाराष्ट्र	0	0
12	ओडिशा	1639	720
13	पंजाब	156	187.2
14	राजस्थान	1217	900
15	तमिलनाडु	2393	2871.6
16	तेलंगाना	2279	1800
17	उत्तर प्रदेश	4140	4968.00
18	पश्चिम बंगाल	0	0
19	हिमाचल प्रदेश	528	900
20	जम्मू और कश्मीर	0	0
21	उत्तराखंड	4647	7092
22	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
23	दादरा और नगर हवेली	0	0
24	पुदुच्चेरी	9	10.8
25	असम	0	0
26	मणिपुर	500	900
27	मेघालय	484	871.2
28	मिजोरम	510	918
29	नागालैंड	148	266.4
30	सिक्किम	50	0
31	त्रिपुरा	260	468
	कुल	**34156**	**31597.2**

अनुलग्नक II

"मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण" के संबंध में श्री दग्गुमल्ला प्रसाद राव और श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 407 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में किराए के परिसरों, अर्ध-पक्के भवनों में चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की जिले-वार संख्या इस प्रकार है (पोषण ट्रैकर डेटा 28.02.2025 तक):

जिला	**आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या**	**किराए के भवनों में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या**	**अर्ध-पक्के भवनों में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या**
अल्लूरी सीतामराजू	3313	1743	1095
अनकापल्ली	1908	622	81
अनंतपुर	2302	927	157
अन्नमय्या	2275	792	117
बापतला	1888	817	153
चित्तूर	2420	591	112
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	1726	817	129
पूर्वी गोदावरी	1556	631	132
एलुरु	2226	839	293
गुंटूर	1480	810	84
काकीनाडा	1986	1075	309
कृष्ण	1707	454	82
कुरनूल	1886	913	61
नांदयाल	1663	788	76
एनटीआर	1475	664	84
पलनाडु	2031	1057	78
पार्वतीपुरम मान्यम	2075	1214	195
प्रकाशम	2903	1140	176
एसपीएसआर नेल्लोर	2934	1167	146
श्री सत्य साईं	2824	1259	90
श्रीकाकुलम	3385	1346	307
तिरुपति	2492	625	81
विशाखापत्तनम	776	209	22
विजयनगरम	2499	1227	158
पश्चिम गोदावरी	1626	620	92
वाई.एस.आर कडप्पा	2389	932	100
कुल	**55745**	**23279**	**4410**

अनुलग्नक III

"मनरेगा के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण" के संबंध में श्री दग्गुमल्ला प्रसाद राव और श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 407 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण किए गए आंगनवाड़ी केंद्र

क्र. सं.	नए जिलों के नाम	पूर्ण किए गए आंगनवाड़ी केंद्र	
		आरआईडीएफ-23	आरआईडीएफ-24
1	श्रीकाकुलम	4	10
2	मन्याम	2	2
3	विजयनगरम	4	7
4	अल्लूरी सीताराम राजू	1	0
5	विशाखापत्तनम	2	0
6	अनकापल्ली	3	12
7	कोनासीमा	1	6
8	काकीनाडा	4	5
9	पूर्वी गोदावरी	5	17
10	पश्चिम गोदावरी	6	20
11	एलुरु	10	8
12	कृष्ण	0	13
13	एनटीआर	2	6
14	गुंटूर	0	3
15	पलनाडु	4	22
16	बापतला	2	5
17	प्रकाशम	9	20
18	एसपीएस नेल्लोर	12	21
19	तिरुपति	3	5
20	चित्तूर	5	12
21	अन्नमय्या	1	4
22	वाईएसआर कडपा	10	23
23	कुरनूल	0	11
24	नांदयाल	3	13
25	अनंतपुरम	0	13
26	श्री सत्यसाईं	7	2
	कुल	**100**	**260**

*****